

भारत सरकार / उ०प्र० सरकार द्वारा एन०पी०वी० की बढ़ोतरी किये जाने पर बढ़ी हुयी धनराशि जमा किये जाने हेतु वचनबद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उ०प्र० शासन के पत्र संख्या— 1252/14-वी-503/61 दिनांक— 25.04.1964 द्वारा 3.79 हेक्टर भूमि में कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लिंग रेनुकूट को पम्प हाउस, पाईप लाईन एवं हस्तान्तरित की गयी थी।

उक्त लीज की अवधि समाप्त होने के उपरान्त भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) अलीगंज लखनऊ के पत्र संख्या— 08वी/09/324/92/एफ०सी०/407 दिनांक— 23.05.1995 द्वारा 5(पाँच) शर्तों के अधीन तथा अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वन अनुभाग—2 के आदेश संख्या— जी०आई० 159/14-2-95-503/1961 लखनऊ दिनांक— 16 जनवरी 1996 द्वारा 9(नौ) शर्तों के अधीन 25 वर्षों हेतु 25 वर्षों के लीज पर दिनांक—01.04.1963 से 31.03.1988 तक दिनांक—01.04.1988 से 31.03.2013 तक के लिए लीज का नवीनीकरण में कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लिंग रेनुकूट के पक्ष में किया गया।

दिनांक— 16.04.2011 को मे. कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लिंग रेनुकूट एवं मे. आदित्य बिडला केमिकल्स (इण्डिया) लिंग रेनुकूट से संबंधित समस्त सम्पत्ति मे. आदित्य बिडला केमिकल्स (इण्डिया) लिंग रेनुकूट केमिकल्स डिवीजन रेनुकूट को चालू हालत में उसी प्रयोजन हेतु दे दिया जाय। मे० कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लिंग रेनुकूट एवं मे० आदित्य बिडला केमिकल्स (इण्डिया) लिंग रेनुकूट के मध्य दिनांक— 16.04.2011 को हुये समझौते के आधार पर प्रश्नगत 3.79 हेक्टर वन भूमि का उपयोग दिनांक—16.04.2011 से मे० आदित्य बिडला केमिकल्स (इण्डिया) लिंग रेनुकूट द्वारा करते हुए वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव प्रबन्ध निदेशक, आदित्य बिडला केमिकल्स (इण्डिया) लिंग रेनुकूट के पत्र संख्या— ए०बी०सी०आई०एल०/४० दिनांक— 30.03.2012 द्वारा रेनुकूट वन प्रभाग में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जो मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या— 2301/11-सी-991 दिनांक— 09 मई 2012 द्वारा प्रमुख सचिव (वन) उ०प्र० शासन, वन अनुभाग—2, लखनऊ को प्रेषित किया गया। उक्त प्रस्ताव के उ०प्र० शासन स्तर पर विचाराधीन रहते हुए मे० आदित्य बिडला केमिकल इण्डिया लिंग रेनुकूट द्वारा माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड रॉची के समक्ष कम्पनी पेटिशन संख्या— 5/2015 व 6/2015 तथा माननीय उच्च न्यायालय म०प्र० (इन्दौर बैच) के समक्ष दाखिल कम्पनी पेटिशन सं 13/2015 (Amalgamation of M/s Aditya Birla Chemicals(India) Limited with M/s Grasim Industries Limited) दाखिल किया गया। माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड रॉची द्वारा दिनांक— 24 नवम्बर 2015 को इथा माननीय उच्च न्यायालय म०प्र० (इन्दौर बैच) द्वारा दिनांक—09.10.2015 को Amalgamation संबंधी आदेश पारित किया गया। पारित आदेशों के अनुपालन में प्रश्नगत वन भूमि का उपयोग मे० ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लिंग रेनुकूट द्वारा तत्समय से किया जाने लगा। मे० ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लिंग रेनुकूट द्वारा प्रश्नगत वन भूमि का उपयोग करते हुए वन भूमि हस्तान्तरण से संबंधित ऑन लाईन प्रस्ताव सं०—FP/UP/OTHERS/19811/2016 परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया गया किन्तु कतिपय कारणों से उक्त प्रस्ताव की स्वीकृति के संबंध में अपेक्षित कार्यवाही नहीं हो पायी। मे० कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लिंग को सेल डील के आधार पर Change of Name in transfer of 325 Acres of forest land एवं Transfer of lease of 3.79 Hectare of forest land के निस्तारण के संबंध में विशेष सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक— 03.02.2021 को बैठक आहुत की गयी। उक्त आहुत बैठक के कार्यवृत्त दिनांक— 03.02.2021 के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 एवं वन संरक्षण नियमावली 2003 की (गाईड लाइन एवं क्लीरिफिकेशन) के चैप्टर— 5 के प्रस्तर—5.2 एवं भारत सरकार के दिशा निर्देश दिनांक— 29.01.2019 के अनुसार प्रकरण का परीक्षण कर Ex-Post Facto के अन्तर्गत प्रस्ताव उचित माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु निर्देश जारी किया गया है। उक्त निर्देश के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रश्नगत ऑन लाइन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव के संबंध में भारत सरकार/उ०प्र० सरकार द्वारा यदि एन०पी०वी० की धनराशि में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो उसे जमा करने हेतु वचनबद्धता प्रस्तुत करता हूँ।

(एन०पी०वी०)

यूनिट हेड

मे० ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लिंग  
For Grasim Industries Limited  
(Chemical Division Renukoot)

S. N. Sastry  
Authorized Signatory

(मनमोहन मिश्र)  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट-सोनभद्र

क्षेत्रीय वनाधिकारी

रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट, सोनभद्र